कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

कमांक 08 आउशि/निक/08
प्रति,

भोपाल,दिनांक 2-1-2009

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश

विषयः–कार्यपरिषद की बैठक मे नामांकन के संबंध मे ।

—0—

आयुक्त, उच्च शिक्षा को अधिकांश विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद मे पदेन सदस्य नामांकित किया गया है, ओर आयुक्त के द्वारा कतिपय अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यो मे व्यस्त होने के कारण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा को इस बैठक मे अपनी ओर से भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता रहा है ।

इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अब अधिकांश विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद की बैठक मे एजेण्डा,सूचना एवं कार्यवाही विवरण सीधे अतिरिक्त संचालको को भेजा जाता है, तथा वैधानिक रूप से नामांकित किये गये सदस्य आयुक्त,उच्च शिक्षा को इसकी सूचना भी नही दी जाती है ।

प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा ने विभाग की समीक्षा के दौरान इस प्रथा पर गहरी आपत्ति ली है ओर इसे अवैधानिक बताया है । अतः अनुरोध है कि भविष्य में कार्यपरिषद की होने वाली समस्त बैठक की सूचना एवं एजेण्डा,नियमतः वर्णित अवधि के पूर्व आयुक्त,उच्च शिक्षा को भिजवाना सुनिश्चित करें । इसके अध्ययन के पश्चात ही आयुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि बैठक मे खुद भाग लेना है, अथवा किसी अन्य सदस्य को नामांकित किया जा सकता है ।

इसी प्रकार बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति अनिवार्यत आयुक्त,उच्च शिक्षा को भेजी जायें ताकि कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर निर्णय लिया जा सकें एवं शासन को विश्वविद्यालय मे चल रही गतिविधियों के संबंध मे अवगत कराया जा सकें ।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,मप्र

पृष्ठांकन कमांक 09 /आउशि/निक/08 भोपाल,दिनांक 2-1-2008

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. कुलपति,समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश ।
3. महामहिम राज्यपाल के सचिव,राजभवन भोपाल ।
4. निज सचिव,माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।

(आशीष उपाध्याय)

सचिव/आयुक्त,उच्च शिक्षाविभाग मप्र